ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-276-279,YEAR-2014

कुशीनगर जनपद में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

❑ डॉ0 ज्योत्स्ना पाण्डेय

कुशीनगर जनपद में लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में रहती है तथा कार्यशील जनसंख्या का 87.6 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा है। अतः कृषि विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा कृषि विकास की प्रबल सम्भावनाऍं भी है। समय–समय पर यहॉ ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किये गये हैं, इनमें से कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है, कुछ विशिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों के विकास पर तथा अन्य विशिष्ट संसाधनों अथवा विशिष्ट सेवाओं एवं सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित है। वर्तमान में कुशीनगर में संचालित होने वाले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, अम्बेडकर ग्राम योजना आदि के माध्यम से होने वाले सामाजिक–आर्थिक ग्रामीण विकास का समालोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास हेतु ऐसी कार्य योजना बनानी है जिससे सम्पूर्ण जनपद की जनसंख्या की कल्याणकारी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कुशीनगर जनपद 26018' उ0 अक्षांश तथा 83033' पूर्व से 84036' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को सुनिश्चित करती है तथा गोरखपुर मण्डल में स्थित है जबकि अध्ययन क्षेत्र कुशीनगर का क्षेत्रफल 28735 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से 4 तहसीलों (हाटा, कसया, पडरौना, फाजिलनगर) तथा 14 विकास खण्डों (कप्तानगंज, मोतीचक, सुकरौली, हाटा, पडरौना, रामकोला, विशुनपुरा, खड्डा, नेबुआ नौरंगिया, तमकुही, दुदही, सेवरही, कसया, फाजिलनगर) में बॅटा है। यहॉ 141 न्याय पंचायतें व 957 ग्राम सभायें है। एक नगरपालिका परिषद, 6 नगर पंचायतें, 1546 आबाद गॉव तथा 74 गैर आबाद गॉव है। प्राचीन काल से यह बीहड़ जंगलों का क्षेत्र रहा है किन्तु बढती जनसंख्या तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण इन जंगलों का सफाया हो गया है, वर्तमान में 3 प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। 2001 में यहॉ की कुल जनसंख्या 3274713 है जिनमें पुरूष स्त्री का प्रतिशत क्रमशः 52.4 तथा 47.6 प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व 994 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर है जो देश तथा प्रदेश के औसत से बहुत अधिक है। जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 28.17 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का 16.22 प्रतिशत अनुसूचित जाति, .004 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 74.63 प्रतिशत हिन्दू, 24.84 प्रतिशत मुस्लिम, 0.04 प्रतिशत इसाई, 0. 16 प्रतिशत बौद्ध, 0.02 प्रतिशत जैन तथा 0.01 प्रतिशत में अन्य जातियॉ है। साक्षरता का प्रतिशत 48.43 था, जिसमें पुरूष साक्षरता 65.36 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 30.85 प्रतिशत था। साक्षरता सूचकांक में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। 2006 में साक्षरता प्रतिशत 50.73 प्रतिशत है जिसमें स्त्री साक्षरता में अधिक वृद्धि हुई है, जो अब 34.1 प्रतिशत है।

व्यावसायिक संरचना में सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला है। यहॉ कृषि में भागीदारी में लगातार कमी देखी जा रही है, 1991 में कृषि में लगी जनसंख्या का औसत 90.8 प्रतिशत था जो घटकर 2001 में मात्र 84 प्रतिशत रह गया और 2006 में इसमें और कमी हुई, जो मात्र 81 प्रतिशत रह गया। जिसमें 61.5 प्रतिशत कृषक तथा 19.5 प्रतिशत कृषक मजदूर है। 2001 में 24.4 प्रतिशत कृषक मजदूर थे। निर्माण कार्य 3.5 प्रतिशत, व्यापार वाणिज्य 0.7 प्रतिशत, यातायात व संचार 5.4 प्रतिशत है।

रीडर, भूगोल विभाग, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, फाजिलनगर, कुशीनगर, (उ0प्र0), भारत

इसी प्रकार भूमि उपयोग पर भी प्रभाव दिखाई देता है। 2000–01 में 76.4 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2006 में घटकर 71.3 प्रतिशत हो गया। अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि 15.6 प्रतिशत से बढकर 17.9 प्रतिशत हो गयी।

कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कृषि हेतु मुख्य घटक भूमि है। बढती हुई जनसंख्या के कारण भूमि की निरन्तर मॉग बढती जा रही है। अतः इस मॉग को भूमि को उपचारित करके, कृषि बेकार भूमि एवं परती भूमि को कृषि योग्य बनाकर पर्याप्त सीमा तक पूरा किया जा सकता है। उर्वरक का उपयोग, बीज वितरण तथा जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार हेतु समाज कल्याण विभाग (सरकार) द्वारा विभिन्न योजनाऍ चलायी जा रही है।

1. स्वतः रोजगार योजना– इस योजना के अन्तर्गत सरकार ऋण देकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। 2006–07 में इस योजना के तहत कुल 3640 हजार रूपये ऋण के रूप में वितरित किये गये, जिससे 364 व्यक्ति स्वतः रोजगार स्थापित किये।

2. वृद्धावस्था/किसान पेन्शन– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से उपर के निराश्रित जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है, को 150 रूपये मासिक पेन्शन प्रदान किया जाता है। जनपद में 2006–07 के अन्तर्गत 41084 व्यक्तियों को तीन करोड़ तिरानवे लाख इकतीस हजार रूपये वितरित किये गये जिसमें 20907 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 21077 व्यक्ति सामान्य जातियों के लाभान्वित हुए।

3. विधवा पेन्शन– इस योजना के अन्तर्गत 125 रूपया प्रति माह के दर से निराश्रित विधवाओं को विधवा पेन्शन प्रदान की जाती है। जनपद में वर्ष 2006–07 में 11974 लक्ष्य के सापेक्ष 11974 विधवाओं को 205.63 लाख रूपये वितरित कर लाभान्वित कराया गया।

4. विकलांग पेन्शन– इस योजना में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय रूपया 10000 प्रति वर्ष से कम हो तथा 40 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग हो, को 150 रूपये प्रतिमाह की दर से पेन्शन दिया जाता है। वर्ष 2006–07 में इस योजना द्वारा 1787 व्यक्तियों को 7217 हजार रूपये वितरित हुए। कुल पेन्शनधारकों में 674 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के है।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति योजना– इस योजना में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों को पठन–पाठन एवं अन्य व्यय के लिए छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। जनपद कुशीनगर में वर्ष 2006–07 में सभी कक्षाओं के 177799 छात्र/छात्राओं का 706.40 लाख उनके सम्बन्धित विद्यालयों के माध्यम से बैंक खातों के द्वारा भुगतान किया गया।

6. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना– अभी तक पिछड़ी जाति के चुनिन्दा छात्रों को उनके अभिभावकों की आय तथा छात्रों के मेधा के अनुसार दिया जाता रहा है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में 207817 छात्र/छात्राओं को 794.48 लाख रूपये वितरित किये गये।

7. विकलांग छात्रवृत्ति योजना– शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों एवं विकलांग अभिभावकों के अध्ययनरत छात्रों को षिक्षा सत्र के समाप्ति तक दिया जाता है। वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत 3 विकलांग छात्रों एवं विकलांग अभिभावकों के छात्र/छात्राओं को 3.03 हजार रूपये वितरित किये गये।

8. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति– कक्षा 1 से 5 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को 25 रूपये प्रतिमाह तथा वार्षिक 300 रूपये, 6 से 8 तक 40 रूपये प्रतिमाह 480 रूपये वार्षिक तथा 9 से 10 तक के छात्रों को 60 रूपये मासिक 720 रूपये वार्षिक प्रति छात्र भुगतान किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 32097 छात्र/छात्राओं में 122.89 लाख वितरित किये गये।

9. अस्वच्छ पेंशावृत्ति– अस्वच्छ पेशा में लगे व्यक्तियों के बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे है, को कक्षा 1 से 5 तक 25 रूपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 40 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती

है। इसके अतिरिक्त छात्र को 500 रूपया मानदेय भी दिया जाता है।

10. अनुसूचित जाति के विधवा की पुत्री की शादी योजना– इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विधवाओं को लाभान्वित किया जाता है जो विधवा पेन्शन योजनान्तर्गत विधवा पेन्शन प्राप्त करती है। इस योजना में 10 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 4 विधवाओं को 40000 रूपये दिये गये।

11. अनुसूचित जाति/जनजाति के पुत्री की शादी/बीमारी अनुदान– इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु 10000 रूपये की धनराशि प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु 2000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत 338 व्यक्तियों को 20 लाख 44 हजार रूपये दिये गये।

12. अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न योजना– गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न करने पर नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संस्तुति के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत 48 व्यक्तियों को 8.81 लाख रूपये आर्थिक सहायता दी गयी।

13. बुक बैंक योजना– इस योजना के अन्तर्गत पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के छात्र/छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पुस्तकीय सहायता प्रदान किया जाता है।

14. अकिंचन मृतकों को दाह संस्कार योजना– इस योजना के अन्तर्गत लावारिस मृतकों के दाह संस्कार हेतु 500 रूपये की दर से सहायता प्रदान किया जाता है।

15. अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम की योजना– उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को रोजगार हेतु स्वयं या बैंकों से वित्त पोषित कराकर रोजगार दिया जाता है। व्यावसायिक स्थल पर दुकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को टाईप, शार्टहैण्ड एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान किया जाता है।

16. पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास योजना– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी। जनपद कुशीनगर में यह निगम अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा ही लक्ष्य निर्धारित होने पर पिछड़ी जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता अथवा बैंक के माध्यम से ऋण दिलाकर रोजगार स्थापित कराया जाता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि कृषि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई देती है। साथ ही गॉवों में रहने वाले लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास हेतु निगम की स्थापना की गई है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Swaminathan M.S. (2002 : Food Se curity and community Gramin Banks. Yojana, Jan 2002.
2. Singh S.P. (1983) : Rural Settlement and service centres in Deoria District.
3. Shri Prakash (1991) : A Decomposi tion Model of Growth of literacy in India.
4. Yadav G.P. & Ram Suresh (1984): Gramin Basti Bhoogol.

5. Kumar V.K. and Others (1979) : A case study of Kanpur city, Uttar Bharat Bhoogol Patrika Vol. 15 No. 2.
6. Singh Ajay Kumar (1988) : उत्तर प्रदेश के बड़े नगरों में आवासीय सुविधा।
7. Bhatia S.S. (967) : A new Measures of Agricultural Efficiency in U.P. Eco nomic Geography Vol. 43, No.3, p-248.
8. Waterson (1994) : A viable Model for Rural Development, Finance and De velopment.
9. Bhandari Laveath and Sunita Kale (2007) : UTTAR PRADESH, State At a Glance सांख्यिकीय डायरी (2006, 2012).